# न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 14/2006

| अपीलान्ट | बनाम | रेस्पोडेन्ट |
|---|---|---|
| हरीराम पुत्र शिवकरण जाति जाट<br>निवासी रूण तहसील व जिला नागौर। | | सरकार जरिये तहसीलदार, नागौर। |

उपस्थिति :–

1. श्री बाबूलाल भादू अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

## निर्णय

दिनांकः 28.06.18

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 103/2005 सरकार बनाम हरीराम में निर्णय दिनांक 07.02.06 के तहत मौजा रूण के खसरा नं. 429 व 437 गै.मु. मगरा भूमि से बेदखली, शास्ति एवं सिविल कारावास के आदेश से असंतुष्ट होकर दिनांक 04.03.06 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 04.03.06 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए। दौराने कार्यवाही वकील अपीलांट द्वारा मौका रिपोर्ट रिकार्ड पर लिये जाने का आवेदन प्रस्तुत किया। जो दिनांक 16.11.2006 को खारिज किये जाने पर अपीलांट माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर में निगरानी/एलआर/7929/2006 नागौर हरीराम बनाम सरकार प्रस्तुत हुई। जिसमें निर्णय दिनांक 25.05.17 के द्वारा अपीलांट की निगरानी को निरस्त किया गया है। पत्रावली माननीय राजस्व मंडल से पुनः प्राप्त हुई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि –

{2}(I)–वर्तमान में अपीलांट का खसरा नं. 429 व 437 के किसी भी भू भाग पर किसी प्रकार का कब्जा नही होने से अपीलाधीन आदेश अपास्त करने योग्य है।

2}(II)–अपीलांट के खिलाफ पूर्व में प्रकरण सं. 19/08 में जुर्माना कर बेदखल कर दिया गया था तथा उपरोक्त प्रकरण में अपीलांट स्वयं ने कब्जा हटा लिया था। उसके पश्चात अपीलांट ने कोई कब्जा नही किया। मगर गांव के कुछ व्यक्तियों के कहने से, जो अपीलांट से राजनैतिक द्वेषता व रंजिश रखने व उनके कहने से पटवारी को प्रभाव में लेकर कब्जा बाबत झूठी रिपोर्ट तहसील कार्यालय नागौर में पेश करवायी। अपीलांट का वर्तमान में कोई कब्जा नही होने से अपील स्वीकार करने योग्य है।

{2}(III)–उपरोक्त प्रकरण दर्ज होने पर अपीलांट दिनांक 13.12.05 को अधीनस्थ न्यायलय के समक्ष उपस्थित आया। जिस पर अपीलांट ने तहसीलदार नागौर को यह बता दिया था कि वादग्रस्त खसरा की भूमि पर मेरा किसी भी प्रकार का कब्जा नही है। न तो तहसीलदार स्वयं ने मौका जांच की और न ही किसी अधीनस्थ कर्मचारी ने मौका रिपोर्ट मंगवाई। कब्जे की सही स्थिति रेकर्ड पर नही होने से अपीलाधीन निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(IV)–अपीलांट से कोई जवाब, साक्ष्य व सबूत नही लिये गये है, अपीलांट की अनुपस्थिति में सारी कार्यवाही की गई है। जो न्याय हित में नही होने से भी अपील स्वीकार करने योग्य है।

{2}(V)–अपीलांट एक गरीब किसान परिवार का व्यक्ति है। जिसको कानून की किसी भी प्रकार की जानकारी नही है और न ही अपीलांट उपस्थित हुआ, उस समय न्यायालय द्वारा कोई जानकारी नही दिलवाई गई। अपीलांट के साथ गौर अन्याय हुआ है तथा मौके की स्थिति की रिपोर्ट मंगवाने से सारी स्थिति अपने आप रोशन हो जायेगी।

{2}(VI)–संपूर्ण प्रकरण का मात्र दो महीनों में फैसला कर दिया, अपीलांट को अपन पक्ष रखने का कोई मौका नही दिया गया। अपीलांट के साथ गौर अन्याय हुआ है।

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(VII)–अपीलांट के साथ छलकपट व धोखा किया गया है। अपीलांट बिल्कुल भोला भाला गरीब किसान है, धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस आने पर अपीलांट व हल्का पटवारी रूण के पास गया और कहा कि मेरे यह किस बात का नोटिस आया है, तब हल्का पटवारी ने कहा कि तुम एक हजार रू. (1000/– रू.) मुझे दे दो। मै जानू और मेरा काम जाने। पटवारी ने अपीलांट को नागौर लाकर उपरोक्त प्रकरण की आदेशिका दिनांक 13.12.05 में हस्ताक्षर करवा कर वापस गांव भेज दिया और अपीलांट से 1000/– रू. ले लिये। अपीलांट के खिलाफ फैसला होने पर अपीलांट को पटवारी स्वयं ने 275/– रू. की रसीद काट कर ला दी। जिससे भी यह साबित होता है कि अपीलांट के खिलाफ षडयंत्र रचकर बिल्कुल झूठा मामला बनाया गया है। जिससे भी अपीलाधीन आदेश निरस्तनीय है।

{3}–राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा मौजा रूण में स्थित गै.मु. मंगरा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। अपीलाधीन आदेश में अपीलान्ट को अतिक्रमी माना जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया गया है, जो सही एवं उचित होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिये।

{4}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके रूण के खसरा नं. 429 व 437 गै.मु. मंगरा भूमि पर अतिक्रमण किया जाना पाये जाने पर ही बेदखली, जुर्माना व सिविल कारावास की सजा से संबंधित आदेश पारित किया गया। आराजी भूमि राजकीय भूमि है तथा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कार्यवाही की गई है। अपीलांट के निवेदन पर पूर्व मे दिनांक 06.07.2006 को आराजी भूमि पर भौतिक रूप से कब्जा हटा लिया गया हो या निर्णय जैर अपील की पालना में अपीलांट को बेदखल किया गया हो, की रिपोर्ट तहसीलदार से मंगवाई गई। जिन्होने अपनी रिपोर्ट पत्रांक 1700 दिनांक 11.09.06 के द्वारा बताया कि अपीलांट द्वारा आराजी से कब्जा नही हटाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। अपीलांट का अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है तथा इससे पूर्व प्रकरण सं. 19/2005 के निर्णय अनुसार भौतिक रूप से बेदखली भी की गई है। जिससे अतिक्रमण की पुनरावृति करना भी साबित है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से इसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर, नागौर
नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान